न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 01/2022 अं.धा.14(4) आवंटन नियम

1. घासी पुत्र ईशरा
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राज0
2. भोर्या पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण जिला दौसा
3. रामकरण पुत्र भोंरीलाल
4. जयसिंह पुत्र भोंरीलाल
5. राजेश पुत्र भोंरीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) रा.अ.कृ.भू.आवंटन नियम 1970

उपस्थित–1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री जितेन्द्र तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 से 5 की ओर से

–::निर्णय ::– दिनांक: 02.12.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.07.1963 को ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तत्कालीन तहसील दौसा के पूर्व खसरा नंबर 83 रकबा 11 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन भू आवंटन सलाहकार समिति तहसील दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दिनांक 9.7.1963 को आराजी पूर्व खसरा नंबर 83 वाके ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तत्कालीन तहसील दौसा के 11 बीघा भूमि का पारित आवंटन आदेश विधि विरूद्ध, प्रकिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत है। आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 65 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा में प्रार्थी सं. 1 की पूर्व खातेदारी भूमि 356 की 5 बीघा 11 बिस्वा रकबा भूमि एकीकरण के दौरान अधिकृत रूप से शामिल किया गया तथा प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल कम कर दिया गया। अतः अप्रार्थी सं02 के नाम आवंटित भूमि रकबा 11 बीघा पर अप्रार्थी का कब्जा आज दिनांक तक नहीं हुआ। इस भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 595 व 598 पर अरसा 60–70 सालों से आज दिन तक प्रार्थी के पूर्वज और प्रार्थी सं. 1 व 2 का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि के तारबंदी की हुई है जिस पर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर लाभांवित हो रहे है। अप्रार्थी सं. 2 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा में खानाबदोस रहा था, जो बाद आवंटन ग्राम छोडकर कहीं चला गया

......निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

जिसके संबंध में आज तक प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है कि उक्त भोंरया पुत्र मूल्या का देहान्त हो गया अथवा जिन्दा है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 के नाम आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा नहीं होने एवं गांव छोडकर चले जाने के कारण अप्रार्थी सं.2 के द्वारा गलत जानकारी पेश कर धोखे से अपने नाम पारित आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 निरस्त योग्य है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जे के संबंध में पटवारी हल्का से प्रतिवेदन नहीं लिया गया, ना ही ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों की सूची तैयार की गई। आवंटन आदेश नियमों के विपरीत किया गया है। आवंटित भूमि के संबंध में भोंरीलाल पुत्र चन्दा गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा के उत्तराधिकारी स्वयं को भोंरया पुत्र मूल्या के उत्तराधिकारी बताकर वर्तमान खसरा नंबर 596 से 598 की भूमि का नामान्तरण अपने नाम करवाना चाहते हैं, जिसे लेकर विवाद तहसीलदार लवाण के कार्यालय में लंबित है। प्रार्थी सं.1 द्वारा अपनी भूमि का क्षेत्रफल भूमि एकीकरण की कार्यवाही के समय करने के कारण वाद उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में प्रस्तुत किया गया है जो लंबित है। भू आवंटन का उद्देश्य भूमिहीन व्यक्ति को भूमि उपलब्ध करवाना तथा अन्य उत्पादन वृद्धि का है। भू आवंटन सलाहकार समिति ने कब्जे एवं पात्रता के संबंध में जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का से लिये बिना प्रश्नगत आवंटन किया गया है जो निरस्तनीय है। भोंरया पुत्र मूल्या की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर भोंरीलाल पुत्र चन्दा गुर्जर जिसकी मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो गयी, जिसने जीवनकाल में कभी भी उक्त भूमि पर दावा नहीं किया था ना ही भूमिहीन रहा है, के वारिसान प्रार्थीगण को निष्कासित करके अपने नाम से अनाधिकृत रूप से नामान्तरण खुलवाने के लिए प्रयत्नशील है। अतः तहसीलदार लवाण से भूमि के संबंध में एवं आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या के संबंध में जांच कराकर प्रतिवेदन मंगवाकर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वरवक्त बहस ग्राम पंचायत खानवास से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्राप्त की गई सूचना एवं निर्वाचक नामावली वर्ष 1958 ग्राम हरियाणा की प्रति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम हरियाणा में भोंरया पुत्र मूल्या नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। यदि भोंरया पुत्र मूल्या नाम का व्यक्ति ग्राम हरियाणा में मौजूद होता तो उसका वोटर लिस्ट में नाम अवश्य होता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 9.7.1963 को अप्रार्थी सं. 2 के नाम किये गये आवटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी है कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 को माननीय न्यायालय के समक्ष 59 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। लंबे अरसे के बाद आवंटन आदेश को चुनौती देने का कोई कारण नहीं बताया है। प्रश्नगत भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 लगा. 05 ने बहस में दलील है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम में प्रार्थीगण ने न्यायालय के साथ धोखाधडी करने की बदनीयति से जान बूझकर अप्रार्थी भोंरया पुत्र मूल्या को पक्षकार बनाते हुए पेश किया गया है, जबकि उनकी पूर्णरूपेण जानकारी में है कि भोंरया पुत्र मूल्या का दिनांक 4.4.2020 को देहान्त हो चुका है। इसके बावजूद भी मूल प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना मृतक व्यक्ति भोंरया को पक्षकार बनाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सके और गुपचुप में न्यायालय को धोखा देकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 3 पर

जिला कलक्टर, दौसा

व बाबूलाल ने अपने भाई मनीष व विष्णु के साथ मिलकर अप्रार्थीगण रामकरण, जयसिंह, राजेश को पक्षकार बनाते हुए उपखंड अधिकारी लवाण के यहाँ मुकदमा नं0 5/2022 इसी भूमि का अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरण खोलने की जो कार्यवाही तहसील में चल रही थी, उसके विरूद्ध स्थानान्तरण याचिका पेश की थी, जिसमें दिनांक 12.04.2022 को उपखंड अधिकारी लवाण द्वारा प्रार्थीगण की स्थानान्तरण याचिका का निर्णय करते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है व तहसीलदार लवाण को नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। इसके आधार पर तहसीलदार लवाण के यहाँ नामान्तरण की कार्यवाही लंबित है। इतनी स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण को पक्षकार न बनाते हुए मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर यह प्रा0पत्र पेश किया गया है जो कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने से मेन्टेनेबल नहीं है जो स्वतः ही अबेट व खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि मृतक भोंरया के अप्रार्थीगण वारिसान हैं व उसकी भूमि पर काबिज हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 से 5 ने दौराने बहस प्रश्नगत भूमि पर पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त रजवास व तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2022 की प्रति प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया कि भोंरया के पिता का नाम चंदा था। ग्रामवासियों ने भोंरया पुत्र चंदा को मूल्या पुत्र श्योनारायण, जो कि चंदा का भाई था, ने भोंरया को गोद ले लिया था लेकिन वर्तमान में रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है। मूल्या के द्वारा गोद लेने के कारण भोंरया ने आवंटन में वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या दर्ज किया जिसके कारण भोंरया की वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या दर्ज हो गई। चूंकि भोरया चंदा का पुत्र था जिसके कारण सभी राजकीय दस्तावेजों में चंदा दर्ज होने से मृत्यु प्रमाण पत्र भी भोंरया पुत्र चंदा के नाम से बना है। भोंरया पुत्र मूल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति है। भोंरया पुत्र चंदा की विरासत पूर्व में दर्ज हो चुका है, जो लाडा देवी पत्नि व जयसिंह, रामकरण, राजेश कुमार पुत्र व केशन्ता, उगन्ता, गीता पुत्री के नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण प्रकरण में प्रा.पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत करने हेतु प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 9.7.1963 को ग्राम हरियाणा स्थित खसरा नंबर 83 में से 11 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी भोंरया पुत्र मूल्या गुर्जर सा.हरियाणा को किया गया है। आवंटन आदेश 9.7.1963 को 59 वर्ष के विलंब से चुनौती दी गई है। प्रश्नगत भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि पूर्व खसरा नंबर 83 हाल खसरा नंबर 596 से 598 पर 60–70 सालों से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है, उक्त तथ्य के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि प्रश्नगत [illegible] पर प्रार्थीगण का कब्जा रहा है। अन्य बिन्दु जिसके द्वारा प्रार्थीगण ने यह तथ्य [illegible] है कि आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या जिंदा है अथवा देहान्त हो [illegible] में नहीं है। यदि इस बात पर विश्वास कर भी लिया जावे तो प्रार्थीगण ने [illegible] उपखंड अधिकारी लवाण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Qurmar Ul Zaman Cheudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

स्थानान्तरण प्रा.पत्र सं. 5/2022 पेश किया है, जिसे हाल खसरा नंबर 596 से 598 वाके ग्राम हरियाणा के लंबित नामां. प्रकरण को तहसीलदार लवाण से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण किये जाने हेतु पेश किया गया है, जिसका उपखंड अधिकारी लवाण ने निर्णय कर दिया गया है, से कथन असत्य सिद्ध होता है। प्रार्थीगण ने यह भी तथ्य अंकित किया है कि प्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी भूमि का क्षेत्रफल भूमि एकीकरण की कार्यवाही के समय करने के कारण वाद उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन है। उपखंड अधिकारी लवाण के न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद एवं आदेशिका की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जिससे उनकी इस बात की पुष्टि होती हो। तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट 13.6.2022 में भोंरया पुत्र मूल्या नाम का कोई व्यक्ति नहीं होना बताया है एवं भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति होना बताया है। जबकि अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान ग्राम हरियाणा की मतदाता सूची एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना की प्रति पेश कर निवेदन किया कि भोंरया पुत्र मूल्या नाम का व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं है। हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 में यह बिन्दु इस न्यायालय से तय किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है कि भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति था अथवा अलग– अलग। उक्त बिन्दु तय करवाने बाबत प्रार्थीगण पृथक से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या भूमिहीन नहीं था एवं प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रहा हो। प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9.7.1963 के द्वारा ग्राम हरियाणा स्थित आराजी खसरा नंबर 83 मे से 11 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 01/2022 अं.धा.14(4) आवंटन नियम

1. घासी पुत्र ईशरा
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण जिला दौसा
..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राज0
2. भोर्‌या पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) रा.अ.कृ.भू.आवंटन नियम 1970

उपस्थित–1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री जितेन्द्र तिवाडी, अधिवक्ता प्रार्थी प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी

–::निर्णय ::– दिनांक: 02.12.2022

(प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी)

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.07.1963 को ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तत्कालीन तहसील दौसा के पूर्व खसरा नंबर 83 रकबा 11 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रार्थीगण रामकरण, जयसिंह, राजेश पि0 भोंरीलाल जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण जिला दौसा द्वारा अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश करने पर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 01/10) ने दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम में प्रार्थीगण ने न्यायालय के साथ धोखाधडी करने की बदनीयति से जान बूझ कर अप्रार्थी सं.2 भोंरया पुत्र मूल्या को पक्षकार बनाते हुए पेश किया गया है जबकि उनकी पूर्णरूपेण जानकारी में है कि भोंरया पुत्र मूल्या का दिनांक 4.4.2020 को देहान्त हो चुका है। इसके बावजूद भी मूल प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना मृतक व्यक्ति भोंरया को पक्षकार बनाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सके और गुपचुप में न्यायालय को धोखा देकर निर्णय करा सकें। प्रार्थीगण की धोखाधडी का [illegible] प्रमाण यह है कि प्रार्थीगण घासी व बाबूलाल ने अपने भाई मनीष व विष्णु [illegible] मिन प्रार्थीगण रामकरण, जयसिंह, राजेश को पक्षकार बनाते हुए उपखंड अधिकारी लवाण के यहाँ मुकदमा नं0 5/2022 इसी भूमि का प्रार्थीगण के नाम नामान्तरण खोलने की जो कार्यवाही तहसील में चल रही थी, उसके विरूद्ध स्थानान्तरण याचिका पेश की थी, जिसमें दिनांक 12.4.2022 को उपखंड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की स्थानान्तरण याचिका का निर्णय करते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है व तहसीलदार लवाण को नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। इसके आधार पर तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरन्तर 2 पर

लवाण के यहाँ नामान्तरण की कार्यवाही लंबित है। इतनी स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण को पक्षकार न बनाते हुए मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर यह आवेदन पेश किया गया है जो कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने से मेन्टेनेबल नहीं है जो स्वतः ही अबेट व खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि मृतक भोंरया के प्रार्थीगण वारिसान हैं व उसकी भूमि पर काबिज हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2022 की प्रति प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया गया कि तहसीलदार लवाण ने उक्त रिपोर्ट मे भोंरया पुत्र मूल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, भोंरया पुत्र मूल्या एवं भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति है। भोंरया पुत्र चंदा की विरासत पूर्व में दर्ज हो चुकी है जिसमें प्रार्थीगण एवं भोंरया की पत्नि लाडा देवी व केसन्ता, उगन्ता, गीता पुत्री के नाम दर्ज हुआ है। इसलिए उक्त मृतक भोंरया की भूमि के संबंध में आवंटन के विरूद्ध पेश 14(4) के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण को प्रकरण में बतौर पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 01/10) ने न्यायालय द्वारा सूचना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत केवियट प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रचलित किये गये हैं। कैवियट याचिका अनाधिकृत रूप से प्रस्तुत की गई है, क्योंकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित आवंटित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है। शीर्षक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 4.4.2020 को भोंरया पुत्र मूल्या की नहीं बल्कि भोंरया पुत्र चन्दा की मृत्यु हुई है। प्रार्थीगण भोंरया पुत्र चन्दा के वारिस हैं। प्रार्थना पत्र में आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या है जिसे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 01/10) आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या के बजाय भोंरया पुत्र चन्दा को आवंटी बताकर आवंटित भूमि का नामान्तरण छलपूर्वक कराना चाहते हैं। तहसीलदार लवाण के समक्ष नामान्तरण कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थीगण, आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या जो लापता है की भूमि हडपना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत खानवास से भोंरया पुत्र मूल्या का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया है, जबकि मृत्यु भोंरया पुत्र चन्दा की हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की कार्यवाही की जांच चल रही है। चन्दा पुत्र श्योनारायण की मृत्यु के बाद उसके पुत्रगण भोंरीलाल, कालू, रामजीलाल, पूरण पि.चन्दा के नाम नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.2.1996 को तस्दीक किया गया था। मृतक भोंरया पुत्र चन्दा है, भोंरया पुत्र मूल्या अलग व्यक्ति है। प्रार्थीगण भोंरया पुत्र चन्दा को आवंटी भोंरया पुत्र मल्या बताकर धोखाधडी से भोंरया पुत्र मूल्या की भूमि हडपना चाहते है। प्रार्थीगण का कब्जा भोंरया पुत्र मूल्या की भूमि पर नहीं है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का [illegible] फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण [illegible] जयसिंह, राजेश पि0 भोंरीलाल जाति गुर्जर निवासी हरियाणा [illegible] लवाण जिला दौसा को पक्षकार बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस [illegible] मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नंबर 596 से 598 जिसके सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 83 थे, के विरासत का नामान्तरण तहसील कार्यालय लवाण में लंबित है को किसी दीगर सक्षम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र सं.5/2022 उपखंड अधिकारी लवाण को प्रस्तुत किया था। जिसे प्रार्थीगण उपखंड अधिकारी लवाण द्वारा उक्त स्थानान्तरण प्रा.पत्र के प्रकरण को चलने योग्य नहीं होने के कारण दिनांक 12.4.2022 को उक्त स्थानान्तरण प्रा.पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 01/10) उपखंड अधिकारी लवाण को प्रस्तुत किये गये स्थाना.प्रा.पत्र में पक्षकार थे। साथ ही तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2022 की रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है जिसमें भोंरया पुत्र मूल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना व भोंरया पुत्र मूल्या एवं भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति होना बताया गया है तथा भोंरया पुत्र चंदा की विरासत पूर्व में दर्ज होना जिसमें प्रार्थीगण एवं भोंरया की पत्नि लाडा देवी व केसन्ता, उगन्ता, गीता पुत्री के नाम दर्ज हुआ है। प्रकरण में प्रार्थीगण का (प्रा.पत्र 01/10) प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकार बनाया जाना हम न्यायोचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण रामकरण, जयसिंह, राजेश पि0 भोंरीलाल जाति गुर्जर निवासी हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तहसील लवाण जिला दौसा को विचाराधीन प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 पर दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested